न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
30 / 2024	19.01.2024	26.02.2024

उनवान

1. राकेश पुत्र श्री रामस्वरूप सनाढ्य आयु वयस्क निवासी बी–108 मसूर निकुंज महावीर मार्ग, संजय कॉलोनी, भीलवाडा तहसील एवं जिला भीलवाडा (राज०)

प्रार्थी

बनाम

1. माधु पुत्र श्री नाराण गुर्जर आयु वयस्क निवासी भडाणीखेडा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
2. हरदेव पुत्र श्री नाराण गुर्जर आयु वयस्क निवासी भडाणीखेडा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
3. देबी पुत्र श्री गोकल गुर्जर आयु वयस्क निवासी भडाणीखेड़ा तहसील एवं जिला भीलवाडा (राज०)
4. प्रहलादराय पुत्र श्री कालू गुर्जर आयु वयस्क निवासी भडाणीखेड़ा तहसील एवं जिला भीलवाडा (राज०)
5. बरजी पत्नी श्री कालू गुर्जर आयु वयस्क निवासी भडाणीखेड़ा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
6. मेवा लाल पुत्र श्री कालू गुर्जर आयु वयस्क निवासी– भडाणीखेड़ा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
7. रमती पुत्री श्री कालू गुर्जर आयु वयरक निवासी– भडाणीखेड़ा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
8. लाली पुत्री श्री कालू गुर्जर आयु वयस्क निवासी– भडाणीखेडा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
9. सावरमल पुत्र श्री कालू, गुर्जर आयु चयरक निवासी भडाणीखेड़ा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
10. सीमा पुत्री श्री कालू गुर्जर आयु वयस्क निवासी भडाणीखेड़ा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
11. अन्जा पत्नी श्री लाला गुर्जर आयु वयस्क निवासी भडाणीखेड़ा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
12. अनिल पुत्र श्री प्रहलाद गुर्जर आयु नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता श्रीमती बरजी पत्नी श्री कालू गुर्जर आयु वयस्क निवासी– भडाणीखेड़ा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

13. शंकरी पुत्री लाला गुर्जर आयु वयस्क निवासी– भडाणीखेडा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
14. हरदेव पुत्र श्री नाराण गुर्जर आयु वयस्क निवासी– भडाणीखेड़ा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
15. बक्षु पुत्र श्री लाला गुर्जर आयु वयस्क निवासी– भडाणीखेड़ा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
16. ग्राम पंचायत रीछड़ा पंचायत समिति सुवाणा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा जरिये संरपच
17. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाडा (राज०)

–विपक्षीगण

उपस्थितः–अधिवक्ता प्रार्थी रामेश्वर लाल जाट
अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 16 उपस्थित नहीं

–: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम :–

–: निर्णय :–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा भडाणीखेड़ा प0ह0 रीछड़ा भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र महुआकलां तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2069–2073 के खाता संख्या 76 की अभिलिखित आराजियात 882/1, 883/1, 884/1 कुल किता 03 कुल रकबा 0.2782 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है और अप्रार्थीगण जैर–बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नही होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थी खातेदारी आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थी वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस बाद तामिल अदम तामिल प्राप्त नहीं हुई।

वकील प्रार्थी ने निवेदन किया है कि प्रार्थी ने अपनी खातेदारी भूमि के सीमाचिन्ह नहीं होने से पत्थरगढ़ी करवाने की प्रार्थना की है। अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 16 उपस्थित नहीं। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईश्तदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन् किया एंव पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

Ghad
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

हमने पत्रावली में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजियात जैर बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के कम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है कि मौजा भडाणीखेड़ा प0ह0 रीछड़ा भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र महुआकलां तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2069–2073 के खाता संख्या 76 की अभिलिखित आराजियात 882/1, 883/1, 884/1 कुल किता 03 कुल रकबा 0.2782 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढ़ी कार्य संपादन से पूर्व फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जावे। पत्थरगढ़ी का आशय पक्षकारों की उपस्थिति में निशानात कायम करने भर से है। इस आदेश में किसी पक्ष की बेदखली व कब्जा देने की कार्यवाही नहीं की जाए तथा किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000–00 अक्षरे एक हजार रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 26.02.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Ahad

(आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ)

उपखण्ड अधिकारी

भीलवाड़ा